न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, खेतडी, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – प्रेम सिंह धनवाल
जिला न्यायाधीश संवर्ग

निर्णय दिनांक 05 अगस्त, 2026

सेशन प्रकरण संख्या–37/2020
(CIS NO. SC/37/2020

राजस्थान राज्य बनाम जयवीर व अन्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–78/2020, पुलिस थाना सिंघाना

अपराध अन्तर्गत धारा–341, 323, 325, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	धर्मपाल पुत्र इमरतराम, निवासी रायपुर जाटान, पुलिस थाना सिंघाना जिला–झुंझुनू, राजस्थान
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक श्री मुकेश शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	01. जयवीर पुत्र रोहिताश, उम्र 30 वर्ष, निवासी घरडाना कलां पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान 02. योगेश उर्फ योगी पुत्र उम्मेद सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी सिलारपुरी, पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान 03. रविन्द्र उर्फ सोनू पुत्र सूबे सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी मोई भारू, पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान 04. संदीप पुत्र भरताराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी घरडाना कलां पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री गोविन्द चौधरी
अधिवक्ता परिवादी	श्री राधेश्याम भारद्वाज

B

अपराध की दिनांक	03.04.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.04.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	31.08.2020
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	11.05.2023, 08.06.2023 व 20.03.2025
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	17.01.2024
निर्णय आरक्षित किए जाने की दिनांक	——
निर्णय दिनांक	05.08.2026
दण्डादेश की दिनांक	——

C

अभियुक्त का विवरण

क्र सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाप्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	जयवीर	02.07.2020	05.10.2020	341, 323, 325, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता	धारा–341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा0द0सं के अपराध में जरिये राजीनामा दोषमुक्त व धारा–308, 308 / 34 भा0द0सं0 के अपराध में संदेह के लाभ में दोषमुक्त	–	–
2.	योगेश उर्फ योगी	02.07.2020	05.10.2020	341, 323, 325, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता	धारा–341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा0द0सं के अपराध में जरिये राजीनामा दोषमुक्त व धारा–308, 308 / 34 भा0द0सं0 के अपराध में संदेह के लाभ में दोषमुक्त		
3.	रविन्द्र उर्फ सोनू	08.07.2020	31.08.2020	341, 323, 325, 308 सपठित धारा 34	धारा–341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा0द0सं के अपराध में जरिये		

				भारतीय दंड संहिता	राजीनामा दोषमुक्त व धारा–308, 308/34 भा0द0सं0 के अपराध में संदेह के लाभ में दोषमुक्त		
4	संदीप	——	——	341, 323, 325, 308 सपठित धारा 34 भारतीय	धारा–341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा0द0सं के अपराध में जरिये राजीनामा दोषमुक्त व धारा–308, 308/34 भा0द0सं0 के अपराध में संदेह के लाभ में दोषमुक्त		

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षीगण की सूची

अ–अभियोजन साक्षीगण

रेंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी.डब्ल्यू–01	धर्मपाल	रिपोर्टकर्ता/परिवादी साक्षी
पी.डब्ल्यू–02	विक्रम	आहत साक्षी
पी.डब्ल्यू–03	जगदीप कुमार	फर्द नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू–04	दिनेश	आहत साक्षी
पी.डब्ल्यू–05	रणवीर	अन्य साक्षी
पी.डब्ल्यू–06	धर्मवीर	अन्य साक्षी
पी.डब्ल्यू–07	सुनील	अन्य साक्षी
पी.डब्ल्यू–08	ताराचन्द	अन्य साक्षी
पी.डब्ल्यू–09	ओमप्रकाश	अन्य साक्षी
पी.डब्ल्यू–10	रवि कुमार	अन्य साक्षी
पी.डब्ल्यू–11	डॉ0 हिमांशु	चिकित्सक साक्षी
पी.डब्ल्यू–12	धर्मेन्द्र सिंह	पुलिस साक्षी
पी.डब्ल्यू–13	रोहिताश	अन्य साक्षी
पी.डब्ल्यू–14	जयप्रकाश	पुलिस साक्षी
पी.डब्ल्यू–15	शेर सिंह	पुलिस साक्षी
पी.डब्ल्यू–16	राकेश कुमार	अनुसंधान अधिकारी साक्षी

पी.डब्ल्यू–17	प्रमोद कुमार	अनुसंधान अधिकारी साक्षी

ब–प्रतिरक्षा साक्षी

रेंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
––	––	––

स–न्यायालय साक्षी

रेंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
––	––	––

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
01	प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी–03	नक्शा मौका घटना स्थल
04	प्रदर्श पी–04	बयान धारा 161 द0प्र0सं0 साक्षी विक्रम कुमार
05	प्रदर्श पी–05	तितम्बा बयान धारा 161 द0प्र0सं0 साक्षी विक्रम
06	प्रदर्श पी–06	बयान धारा 161 द0प्र0सं0 साक्षी दिनेश उर्फ बरकत
07	प्रदर्श पी–07	तितम्बा बयान धारा 161 द0प्र0सं0 साक्षी दिनेश उर्फ बरकत
08	प्रदर्श पी–08	चोट प्रतिवेदन आहत विक्रम
09	प्रदर्श पी–09	एक्सरे रिपोर्ट आहत विक्रम
10	प्रदर्श पी–10 से 14	एक्सरे प्लेटस्
11	प्रदर्श पी–15	फर्द बरामदगी एक बोलेरो पिकअप नं0 आरजे–18जीबी–3559
12	प्रदर्श पी–16	नक्शा मौका बरामदगी स्थल बोलेरो पिकअप
13	प्रदर्श पी–17	फर्द बरामदगी एक लोहे का पाईप अभियुक्त जयवीर
14	प्रदर्श पी–18	नक्शा मौका बरामदगी स्थल लोहे का पाईप
15	प्रदर्श पी–19	फर्द बरामदगी एक बांस का लट्ठ अभियुक्त योगेश उर्फ योगी
16	प्रदर्श पी–20	नक्शा मौका बरामदगी स्थल बांस का लट्ठ
17	प्रदर्श पी–21	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रविन्द्र उर्फ सोनू
18	प्रदर्श पी–22	बयान धारा 161 द0प्र0सं0 साक्षी रोहिताश
19	प्रदर्श पी–23	फर्द बरामदगी एक बांस की लाठी अभियुक्त रविन्द्र उर्फ सोनू
20	प्रदर्श पी–24	नक्शा मौका बरामदगी स्थल बांस की लाठी
21	प्रदर्श पी–25	फर्द तस्दीक घटना स्थल
22	प्रदर्श पी–26	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जयवीर

23	प्रदर्श पी—27	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त योगेश उर्फ योगी
24	प्रदर्श पी—28 से 30	फर्द इतलाएं

ब—प्रतिरक्षा प्रदर्श

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
——	——	——

स—न्यायालय प्रदर्श

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
——	——	——

द—भौतिक वस्तुएं

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
——	——	——

—:: निर्णय ::— दिनांक 05 अगस्त, 2026

(01) प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत व आवश्यक तथ्य इस प्रकार से है कि—दिनांक 03.04.2020 को परिवादी धर्मपाल पुत्र इमरतराम, निवासी रायपुर जाटान, पुलिस थाना सिंघाना ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 पुलिस थाना सिंघाना के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि आज दिनांक 03.04.2020 को 10:15 बजे उसका लड़का विक्रम रायपुर से घरड़ाना की तरफ किसी काम से जा रहा था। जैसे ही उसका लड़का घरड़ाना में पहुंचा तब वहां पर तीन लड़के जयवीर पुत्र रोहिताश, संदीप पुत्र भरताराम और योगेश ने उसके लड़के को रोककर बुरी तरह पीटा, जिससे उसके लड़के के दोनों हाथ व दोनों पांव टूट गए तथा राड़, लाठी से पिटाई की। लड़के के शोर मचाने पर गांव के लोगों ने आकर छुड़वाया तब वे तीनों भाग गए। परिवादी को पता चला तब वह थाने में आया और वहां से पुलिस स्टाफ को लेकर अस्पताल पहुंचा। ज्यादा चोट होने की वजह से झुंझुनू रेफर कर दिया इत्यादि।

(02) उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सिंघाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2020 अन्तर्गत धारा—341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान कर पुलिस थाना सिंघाना ने अभियुक्तगण (1) जयवीर (2) योगेश उर्फ योगी (3) रविन्द्र उर्फ सोनू के विरूद्व धारा—341,

323, 325, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में तथा अभियुक्त (4) संदीप के विरूद्व धारा—341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

(03) बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण (1) जयवीर (2) योगेश उर्फ योगी (3) रविन्द्र उर्फ सोनू व अभियुक्त (4) संदीप को धारा—341, 323, 325, 325 / 34, 308, 308 / 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

(04) दिनांक 27.05.2024 को आहत विक्रम ने अभियुक्तगण से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 325 के अपराध के लिये राजीनामा करने की अनुमति पेश की जो पक्षकारान को सुना जाकर अनुमति दी गई। इस पर पक्षकारों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323, 341, 325 सपठित धारा—34 के अपराध के लिये राजीनामा पेश किया, जो बाद जांच तस्दीक किया गया। अब अभियुक्तगण (1) जयवीर (2) योगेश उर्फ योगी (3) रविन्द्र उर्फ सोनू व अभियुक्त (4) संदीप के विरूद्व विचारण हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा—308, 308 / 34 का अपराध शेष रहता है।

(05) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने के लिए पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए।

(06) अभियुक्तगण को धारा—313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया। अभियुक्तगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की।

(07) बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली एवं विधि के प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

(08) इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय बिन्दू हैं —

(अ) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.04.2020 को दिन के लगभग 10:15 बजे घरडाना कलां में आम रास्ते पर आहत विक्रम का सदोष मानव वध करने के सामान्य आशय के अनुसरण में आहत विक्रम के शरीर पर लाठी, रॉड से वार

कर गम्भीर प्रकृति की चोटें इस आशय व ज्ञान के साथ तथा ऐसी परिस्थितियों में कारित की कि यदि उक्त चोटों से विक्रम की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते ?

(बी) यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो ?

(09) दौराने बहस अपर लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान तथा गवाहान के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(10) उक्त तर्को का विरोध करते हुए अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। घटना का आहत विक्रम पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते। मारपीट करने वाले कौन थे पता नहीं होना बताता है और मारपीट करने वाले अपना मुंह ढके होना बताता है। घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित दिनेश व रोहिताश भी पक्षद्रोही घोषित हुए है। उक्त साक्षीगण ने अपने पुलिस बयान व अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान व निष्कर्ष का समर्थन नहीं किया है। अन्य साक्षीगण अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। अभियुक्तगण का परिवादी पक्ष से राजीनामा हो चुका है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

(11) उभयपक्षों की ओर से दिए गए तर्को पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

(12) न्यायालय को यह देखना है कि–''क्या अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 308, 308/34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित है ? ''

(13) साक्षी पी0डी0–01 धर्मपाल रिपोर्टकर्ता है और आहत विक्रम का पिता है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दिनांक 03.04.2020 को सुबह 10.15 बजे साक्षी को फोन पर बताया कि उसके बेटे विक्रम को गांव के टावर के पास, संदीप, जयवीर और योगेश व उसके साथ लाठी व राड़ से मार रहे है। फिर साक्षी मौके पर पहुँचा। उसके लडके जिसके हाथ–पैर

तोड़ रखे थे, को गाडी में डालकर थाने लाया। फिर थाने वाले साथ हॉस्पिटल सिंघाना गये, जहां पर उसकी हाल गंभीर होने के कारण उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया। झुंझुनू वालों ने उसको जयपुर के लिये रैफर कर दिया। जहां पर उसके लडके विक्रम के हाथ व पैरो में रॉड डली व डेढ़–दो महिने उसका ईलाज चला। मुलजिमान चुनावों को लेकर उसके लडके से रंजिश रखते थे। उसका लडका बरकत के साथ उठा–बैठ करता था, जिससे संदीप नाराज था, इसी रंजिश को लेकर इन लोगों ने प्लानिंग बनाकर उसके लडके के हाथ–पैर तोड दिये। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 साक्षी ने थानाधिकारी सिंघाना को दी थी,. जिस पर व कार्यवाही पुलिस तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी–02 पर ए–बी साक्षी के हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–03 साक्षी के सामने तैयार किया, जिस पर ए–बी साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करते है कि वह घटना स्थल पर पहुंचा तब तक उसके लड़के को किसी ने नहीं उठाया क्योंकि वह तुरन्त ही पहुंच गया था। जब साक्षी मौके पर पहुंचा तब मुलजिमान भाग गए थे। उसे 04–05 बार चौकी में व 04–05 बार थाने पर बुलाया, जहां उसके कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। साक्षी स्वीकार करते है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी।

(14) साक्षी पी0ड0–02 विक्रम प्रकरण का आहत है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि लॉक डाउन के समय की बात है। साक्षी घरडाना कलां में दिनेश उर्फ बरकत के पास गया हुआ था। वहां पर जयवीर और उसके साथ दो–चार लोगों के साथ कहासुनी हुई थी। उसके बाद वे लोग चले गये। उसके अगले दिन रात को करीब 09.30–10.00 बजे, साक्षी बरकत की दुकान पर बैठा था। तभी एक सफेद पिकअप में 05–07 लोग आये, जिनके हाथ में पाईप व लाठियां थी। जिन्होंने साक्षी के साथ मारपीट की थी, मारने वाले कौन थे, उसे नहीं पता। उन लोगो ने अपने मुंह ढक रखे थे और मारपीट करके वे लोग भाग गये। उसके घर वाले उसे सिंघाना हॉस्पिटल लेकर आये। वहां से झुंझुनू और झुंझुन से जयपुर लेकर गये। जहां साक्षी का ईलाज चला। एक दिन पहले जयवीर व उसके साथियो के साथ कहा–सुनी होने के कारण शक के आधार पर उनका नाम उसके पिताजी ने लिखवाया था। घटना की रिपोर्ट उसके पिताजी धर्मपाल ने दी थी। साक्षी की चोटो का मेडिकल मुआयना हुआ था। जयवीर, योगेश उर्फ योगी, रविन्द्र उर्फ सोनू व संदीप ने उसके साथ कोई

मारपीट नहीं की। अपर लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी पुलिस बयान प्रदर्श पी–04 व तितम्बा बयान प्रदर्श पी–05 के ए–बी भाग से इंकार करते हैं। साक्षी इस सुझाव से इंकार करते है कि दिनांक 03.04.2020 को सुबह करीब 09:30–10 बजे सफेद पिकअप में जयवीर, योगेश उर्फ योगी, रविन्द्र उर्फ सोनू व संदीप तथा 04–05 अन्य व्यक्ति हाथों में लाठियां, सरिया लेकर आए हो और उसे जाने से मारने की नियत से उसके ऊपर जानलेवा हमला किया हो और उसके गम्भीर चोटें आई हो। साक्षी स्वीकार करते है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है।

(15) साक्षी पी0ड0–04 दिनेश प्रकरण का चक्षुदर्शी है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि 03–04 साल पहले लॉक डाउन के समय की बात है। साक्षी के पास घरड़ाना कलां में विक्रम आया हुआ था। वहां पर जयवीर, संदीप और उसके साथ दो–चार लोगो के साथ विक्रम की कहासुनी हुई थी। उसके अगले दिन रात को करीब 09.30–10.00 बजे, विक्रम साक्षी की चाय की दुकान पर बैठा था तभी एक सफेद पिकअप में 05–07 लोग आये जिनके हाथ में पाईप लाठियां थी, जिन्होंने साक्षी के साथ मारपीट की थी। मारने वाले कौन थे उसे नहीं पता। उन लोगों ने अपने मुंह पर कपडा बांध रखा था और मारपीट कर वे लोग भाग गये। विक्रम को उसके घर वाले सिंघाना हॉस्पिटल लेकर आये। वहां से झुंझुनू और झुंझुनू से जयपुर लेकर गये। जहां उसका इलाज चला। जयवीर, योगेश उर्फ योगी, रविन्द्र उर्फ सोनू व संदीप ने साक्षी के साथ कोई मारपीट नहीं की। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी–03 पर इ–एफ साक्षी के हस्ताक्षर है। अपर लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी पुलिस बयान प्रदर्श पी–06 व तितम्बा बयान प्रदर्श पी–07 के ए–बी भाग से इंकार करते हैं। साक्षी इस सुझाव से इंकार करते है कि दिनांक 03.04.2020 को सुबह करीब 09:30–10 बजे सफेद पिकअप में जयवीर, योगेश उर्फ योगी, रविन्द्र उर्फ सोनू व संदीप तथा 04–05 अन्य व्यक्ति हाथों में लाठियां, सरिया लेकर आए हो और विक्रम को जाने से मारने की नियत से उस पर जानलेवा हमला किया हो और विक्रम के गम्भीर चोटें आई हो। साक्षी स्वीकार करते है कि विक्रम का अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है।

(16) साक्षी पी0ड0–03 जगदीप कुमार नक्शा मौका से संबंधित साक्षी है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है। साक्षी मुख्य परीक्षण में बताते है कि पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–03 पर

सी–डी उसके हस्ताक्षर करवाए थे जो खाली था।

(17) साक्षी पी0ड0–05 रणवीर मुख्य परीक्षण में बताते है कि आज से करीब 04 साल पहले शाम को उनके गांव के धर्मपाल के साथ सुनील मीणा की दुकान पर खड़े थे, धर्मपाल का ट्रेक्टर साईड में खड़ा था। वहां हम करीब 40–50 मिनट रूके थे। संदीप राव को अकेले ही खडा देखा था। फिर वे धर्मपाल के ट्रेक्टर से चल पडे। धर्मपाल ने साक्षी को नरेन्द्र की दुकान के पास उतार दिया। वहां से साक्षी अपने घर पैदल जा रहा था, तब दिनेश उर्फ बरकत के कैम्प के पास पहुँचा तो वहां पर साक्षी को कुत्ते ने काट खाया। साक्षी ने संदीप राव और दिनेश बरकत की कहा–सुनी होते हुये नहीं देखा और ना ही सुना। उस दिन गांव में जो मारपीट हुई उसका साक्षी को नहीं पता और यह भी नहीं पता की किस–किस के बीच में मारपीट हुई थी।

(18) साक्षी पी0ड0–06 धर्मवीर मुख्य परीक्षण में बताते है कि आज से करीब 04 साल पहले शाम को उनके गांव के रणवीर के साथ सुनील मीणा की दुकान पर खड़े थे। उसका ट्रेक्टर साईड में खड़ा था। वहां वे करीब 40–50 मिनट रूके थे, संदीप राव को अकेले ही खडा देखा था। फिर वे ट्रेक्टर से चल पडे। साक्षी ने रणवीर को नरेन्द्र की दुकान के पास उतार दिया। साक्षी अपनेघर चला गया। साक्षी ने सुना था कि गांव में रायपुर जाटान के लड़के के साथ मारपीट हुई है किसने मारपीट की, इसके बारे में उसने नहीं सुना और न ही इसके अलावा उसे कुछ पता है।

(19) साक्षी पी0ड0–07 सुनील मीणा मुख्य परीक्षण में बताते है कि उसने गांव के बस स्टैण्ड पर किराना और सब्जी की दुकान कर रखी है। आज से करीब 04 साल पहले शाम को उनके गांव के रणवीर व धर्मवीर व एक दो और व्यक्ति रोड की दूसरी तरफ बैठे थे। साक्षी की दुकान की तरफ से विक्रम रायपुर निवासी व दिनेश उर्फ बरकत नहीं आये और ना ही उसके सामने इनकी कोई बातचीत व विवाद हुआ। रणवीर वहां से अपने घर के लिये जा रहा था तब दिनेश उर्फ बरकत के बाडे के पास उसको कुत्ते ने काट लिया था। तब संदीप राव वगैरा सभी उस ओर चले गये थे। साक्षी ने रोला होने की कोई आवाज नहीं सुनी और न ही उसने जयवीर को संदीप के साथ देखा। दूसरे दिन साक्षी ने सुना था कि संदीप राव और विक्रम की बोलचाल हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि उसने कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं

देखा और ना ही किसने किसके साथस मारपीट की उसे पता नहीं।

(20) साक्षी पी0ड0–08 ताराचन्द मुख्य परीक्षण में बताते है कि आज से करीब 04 साल पहले साक्षी ने अपने मकानों का काम चालू कर रखा था इसलिये ज्यादातर साक्षी अपने मकान पर ही रहता था और वहीं काम करता था। रायपुर जाटान के लड़के के साथ घरड़ाना गांव में मारपीट की बात सुनी थी। उस समय साक्षी अपने घर पर था। साक्षी ने कोई मारपीट होते हुये नहीं देखी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि उसने कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखा और ना ही किसने किसके साथस मारपीट की उसे पता नहीं।

(21) साक्षी पी0ड0–09 ओमप्रकाश मुख्य परीक्षण में बताते है कि दिनांक 03.04.2020 को संदीप व रवि दोनो साक्षी के पास गाडी से सुबह करीब 09.00 बजे आये और रवि ने साक्षी को पैसे दे दिये थे। वे साक्षी के पास करीब 02 घण्टे रूके फिर चले गये।

(22) साक्षी पी0ड0–10 रवि कुमार मुख्य परीक्षण में बताते है कि दिनांक 03.04.2020 को साक्षी व संदीप दोनो ओमप्रकाश के पास गाडी से सुबह करीब 09.00 बजे गये और साक्षी ने पैसे दे दिये थे। वे वहां करीब 02 घण्टे रूके फिर चले गये। संदीप ने अपनी गाडी से साक्षी को घर छोड दिया। उस दिन संदीप सुबह 08.30 से 11.00 बजे तक साक्षी के साथ ही था।

(23) साक्षी पी0ड0–13 रोहिताश पक्षद्रोही घोषित हुआ है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसने घटना के बारे में कुछ सुना। अपर लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी पुलिस बयान प्रदर्श पी–22 के ए–बी भाग से इंकार करते हैं।

(24) साक्षीगण पी0ड0–11 डॉ0 हिमांशु चिकित्साधिकारी हैं। साक्षीगण मुख्य परीक्षण में कथन करते है कि दिनांक 03.04.2020 को साक्षी सी.एच.सी सिंघाना में चिकित्साधिकारी के पद पर रहते हुए पुलिस प्रतिवेदन पर आहत विक्रम पुत्र धर्मपाल उम्र 30 साल निवासी रायपुर जाटान की चोटों का परीक्षण किया था, जिसके निम्नांकित चोटें थी–

01. नीलगू चोट सूजन के साथ 5 x 3 से.मी दायें अग्रभुजा पर

02. नीलगू चोट सूजन के साथ 3 x 2 से.मी बायें भुजा पर

03. नीलगू चोट सूजन के साथ 5 x 3 सेमी बायें अग्रभुजा पर

04. नीलगू चोट सूजन के साथ 5 x 4 से.मी व 4 x 2 से.मी दायें पांव पर

05. नीलगू चोट सूजन के साथ 6 x 2 से.मी व 5 x 2 से.मी बायें पांव पर

चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–08 है, जिस पर ए–बी चोटों का वर्णन, सी–डी आहत का पहचान चिन्ह अंकित है व इ–एफ साक्षी के हस्ताक्षर है। चोट प्रतिवेदन 02 पृष्ठों पर है जिस पर पृष्ठ संख्या 02 पर जी–एच नोट अंकित है। सभी चोटें कुन्दालय हथियार से कारित थी व सभी चोटों के लिए एक्सरे की राय दी गई। बाद एक्स–रे सभी चोटें 01 लगायत 05 गंभीर प्रकृति की पाई गई। सभी चोटों का इलाज एस.एम.एस अस्पताल में लिया गया बताया गया। एक्स–रे कवर नोट प्रदर्श पी–09 है, जिस पर ए–बी साक्षी की राय, सी–डी साक्षी के हस्ताक्षर है। एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–10 लगायत प्रदर्श पी–14 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करते है कि सभी चोटें 01 लगायत 05 वाईटल पार्ट पर नहीं है। किसी भी चोट से बाहर खून का स्त्राव नहीं हो रहा था। साक्षी स्वीकार करते है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–08, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 पर उसकी राय में उक्त चोटें प्राणघातक हो ऐसा उसने नहीं लिखा।

(25) साक्षीगण पी0ड0–12 धर्मेन्द्र सिंह व पी0ड0–14 जयप्रकाश फर्द बरामदगी, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका से संबंधित पुलिसकर्मी हैं। दोनों साक्षीगण मुख्य परीक्षण में बताते है कि दिनांक 04.07.2020 को साक्षीगण पुलिस थाना सिंघाना में कॉस्टेबल के पद पर रहते हुए मुकदमा नम्बर 78/2020 में अनुसंधान अधिकरी को गिरफ्तारशुदा मुलजिम जयवीर ने इतलानुसार अपने रिहायशी मकान के चौक में खडी घटना में काम में ली गई पिकअप गाडी नं0 आर0जे0–18जीबी–3559 साक्षीगण के समक्ष बरामद करवाई, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–15 है। मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मय हालत मौका प्रदर्श पी–16 साक्षीगण के समक्ष तैयार किया गया, जिन फर्दो पर साक्षीगण के हस्ताक्षर है। उस दिन अनुसंधान अधिकरी को गिरफ्तारशुदा मुलजिम जयवीर ने इतलानुसार अपने रिहायशी मकान के पास स्थित बाडे में बने एक मकान के कोने में रखे हुए लोहे का पाईप निकालकर साक्षीगण के समक्ष बरामद करवाया जिसे बतौर वजह सबूत पुलिस कब्जे में लिया गया। जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी–17 है। मौके पर ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–18 साक्षीगण के समक्ष तैयार किया गया, जिन फर्दो पर साक्षीगण के

हस्ताक्षर है। उसी दिन गिरफ्तारशुदा मुलजिम योगेश उर्फ योगी ने अपनी इतलानुसार अनुसंधान अधिकारी को अपने रिहायशी मकान के चौक में कोने रखे बांस के लठ्ठ को साक्षीगण के समक्ष बरामद करवाया, जिसे पुलिस कब्जे में लिया गया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–19 है। मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–20 साक्षीगण के समक्ष तैयार किया गया, जिन फर्दो पर साक्षीगण के हस्ताक्षर है। साक्षी पी0ड0–12 धर्मेन्द्र सिंह मुख्य परीक्षण में आगे बताते है कि दिनांक 08.07.2020 को अभियुक्त रविन्द्र उर्फ सोनू को जरिये फर्द प्रदर्श पी–21 साक्षी के समक्ष गिरफ्तार किया था, जिस पर ए–बी साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी पी0ड0–14 जयप्रकाश मुख्य परीक्षण में आगे बताते है कि दिनांक 09.07.25020 को गिरफ्तारशुदा मुलजिम रविन्द्र उर्फ सोनू ने अपनी इतलानुसार अनुसंधान अधिकारी को अपने मकान में बनी बैठक में से एक लाठी बांस की बरामद करवाई, जिसे पुलिस कब्जे में लिया गया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–23 है। मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–24 साक्षीगण के समक्ष तैयार किया गया। उसी दिन गिरफ्तारशुदा उक्त मुलजिम ने अपनी इतलानुसार अनुसंधान अधिकारी को घटना स्थल साक्षी के समक्ष तस्दीक करवाया, तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी–25 पर ए–बी साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त दोनों ही साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–15 लगायत प्रदर्श पी–21 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। साक्षीगण स्वीकार करते है कि बरामदगी स्थल के मालिकाना हक बाबत अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज सरपंच–पंच आदि से प्राप्त नहीं किए, अजखुद कहा कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण ने स्वयं का होना बताया।

(26) साक्षी पी0ड0–15 शेर सिंह पुलिसकर्मी हैं। साक्षी मुख्य परीक्षण में बताते है कि दिनांक 03.04.2020 को पुलिस थाना सिंघाना की गाडाखेडा चौकी पर एच.सी. के पद पर रहते हुए थानाधिकारी को परिवादी धर्मपाल द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 दी थी, जिस पर धर्मपाल के हस्ताक्षर है। उक्त तहरीर रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस अंकित किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 दर्ज की गई, जो एच.एम कार्यालय से साक्षी के नाम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–03 तैयार किया, जिस पर परिवादी के, गवाहों के व साक्षी के हस्ताक्षर है। परिवादी धर्मपाल, सुभाष, बरकत व मजरूब

विक्रम के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये मजरूब विक्रम की आई.आर रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जो क्रमशः प्रदर्श पी–08 व प्रदर्श पी–09 लगायत प्रदर्श पी–12 है, जिसमें डाक्टर द्वारा मजरूब के पांच जगह फ्रैक्चर दिखाये गये थे। जिस पर मुकदमा हाजा में धारा 325, 308 भारतीय दण्ड संहिता कायम की गई थी। आगे की कार्यवाही एस.एच.ओ द्वारा की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि उसने डाक्टर से मजरूब के आई चोटों के संबंध में कि ये चोटें प्राणघातक है, इस संबंध में कोई राय नहीं ली, अजखुद कहा कि मजरूब के 03 से अधिक फ्रेक्चर हो तो धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध अपने आप साबित होता है।

(27) साक्षी पी0ड0–16 राकेश कुमार पुलिस थाना बगड़ के थानाधिकारी व अनुसंधान अधिकारी है, जो मुख्य परीक्षण में बताते है कि दिनांक 19.07.2020 को पुलिस थाना बगड में थानाधिकारी के पद पर रहते हुए मुकदमा नम्बर 78 / 2020 थाना सिंघाना की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु एस.पी झुंझुनू के आदेश से प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान गवाह धर्मपाल, विक्रम, सुभाषचंद्र, दिनेश उर्फ बरकत के तितम्बा बयान व गवाह रोहिताश, ताराचंद, रणवीर, धर्मवीर, रवि ओमप्रकाश, सुनिल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध साद्वय एंव सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम जयवीर, योगेश उर्फ योगी, रविन्द्र उर्फ सोनू के खिलाफ जुर्म धारा–341, 323, 325, 308 / 34 भारतीय दण्ड संहिता व मुलजिम संदीप के विरूद्ध धारा–341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली थानाधिकारी सिंघाना को सुपुर्द की। जिनके द्वारा उपरोक्त मुलजिमान के खिलाफ सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि उससे पूर्व के जांच अधिकारी ने धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित माना था। अभियुक्त संदीप के विरूद्व धारा–341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पाया था। शेष अभियुक्तगणस के विरूद्व धारा–341, 323, 325, 308 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित माना था।

(28) साक्षी पी0ड0–17 प्रमोद कुमार अनुसंधान अधिकारी है, जो मुख्य परीक्षण में बताते है कि दिनांक 03.04.2020 पुलिस थाना सिंघाना में थानाधिकारी के पद पर रहते हुए परिवादी धर्मपाल निवासी रायपुर जाटान में साक्षी के समक्ष एक लिखित तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–01

पेश की, जिस पर परिवादी के व साक्षी के हस्ताक्षर है तथा इ–एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2020 प्रदर्श पी–02 दर्ज की गई, जिस पर परिवादी व साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रकरण अनुसंधान हेतु शेर सिंह एच.सी को दिया गया जिनके द्वारा अनुसंधान के दौरान धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पाये जाने पर अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली साक्षी को प्राप्त हुई। दौरान अनुसंधान दिनांक 02.07.2020 को मुलजिम जयवीर व योगेश उर्फ योगी जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–26 व प्रदर्श पी–27 गिरफ्तार किया, जिन पर गवाहों के, अभियुक्त के व साक्षी के हस्ताक्षर है। दिनांक 03.07.2020 को गिरफ्तारशुदा मुलजिम जयवीर व योगेश द्वारा अपनी–अपवनी स्वेच्छा से इतलाएं जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–28 व प्रदर्श पी–29 दी गई। दिनांक 04.07.2020 को गिरफ्तारशुदा मुलजिम जयवीर ने इतलानुसार बोलेरो पिकअप व रंग सफेद नम्बर आरजे–18जीबी–3559 अपने रिहायशी मकान से बरामद करवाई जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–15 है, मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–16 तैयार किया, जिन फर्दो पर गवाहों के, अभियुक्त के व साक्षी के हस्ताक्षर है। उसी दिन गिरफ्तारशुदा मुलजिम जयवीर ने इतलानुसार अपने रिहायसी मकान के पास स्थित बाड़े में बने कमरे में से एक लोहे का पाइप निकालकर बरामद करवाया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–17 है, मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–18 तैयार किया, जिन फर्दो पर गवाहों के, अभियुक्त के व साक्षी के हस्ताक्षर है। उसी दिन गिरफ्तारशुदा मुलजिम योगेश उर्फ योगी ने अपनी इतलानुसार अपने रिहायशी मकान के आगे चौक में से एक बांस का लट्ठ बरामद करवाया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–19 है, मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–20 तैयार किया, जिन फर्दो पर गवाहों के, अभियुक्त के व साक्षी के हस्ताक्षर है। दिनांक 08.07.2020 को मुलजिम रविंद्र उर्फ सोनू को जरिये फर्द प्रदर्श पी–21 द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिस पर गवाहों के, अभियुक्त के व साक्षी के हस्ताक्षर है। दिनांक 09.07.2020 को उक्त गिरफ्तारशुदा मुलजिम द्वारा स्वेच्छया से जरिये इतला प्रदर्श पी–30 दी गई, उसी दिन उक्त गिरफ्तारशुदा मुलजिम ने अपने रिहायशी मकान की बैठक में से लाठी बांस की बरामद करवाई जिसे पुलिस कब्जे में लिया गया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–23 है, मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–24 तैयार

किया, जिन फर्दो पर गवाहों के, अभियुक्त के व साक्षी के हस्ताक्षर है। उसी दिन गिरफ्तारशुदा उक्त मुलजिम ने अपनी इतलानुसार अनुसंधान अधिकारी को घटना स्थल साक्षी के समक्ष तस्दीक करवाया, तस्दीक घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–25 तैयार किया, जिस पर गवाहों के, अभियुक्त के व साक्षी के हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम जयवीर, योगेश उर्फ योगी, रविन्द्र उर्फ सोनू के खिलाफ जुर्म धारा–341, 323, 325, 308 / 34 भारतीय दण्ड संहिता व मुलजिम संदीप के विरूद्ध धारा–341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व साक्षी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

(29) इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर आरोपित अपराधों के संदर्भ में सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन व विश्लेषण किया गया।

(30) साक्षी पी0ड0–01 धर्मपाल आहत विक्रम का पिता व रिपोर्टकर्ता है, ने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन किया है, परन्तु अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रतिपरीक्षण किए जाने पर यह कहा है कि उसे हिन्दी लिखनी व पढ़नी नहीं आती। प्रदर्श पी–01 थाने में किसी से लिखवाई थी। प्रदर्श पी–01 में उसने फोन पर सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। वह वहां मौके पर पहुंचा तब मुलजिमान भाग गए थे। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी।

(31) पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने तथा घटना के आहत पी0ड0–02 विक्रम के पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अपर लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी / आहत दिनांक 03.04.2020 को सुबह करीब 09:30–10 बजे सफेद पिकअप में जयवीर, योगेश उर्फ योगी, रविन्द्र उर्फ सोनू व संदीप तथा 04–05 अन्य व्यक्ति द्वारा हाथों में लाठियां, सरिया लेकर आने और जाने से मारने की नियत से उसके ऊपर जानलेवा हमला करने, जिसके कारण उसके गम्भीर चोटें आने से इंकार किया है। घटना का चक्षुदर्शी साक्षी पी0ड0–04 दिनेश पक्षद्रोही घोषित हुआ है और अपर लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 03.04.2020 को सुबह करीब 09:30–10 बजे सफेद पिकअप में जयवीर, योगेश उर्फ योगी, रविन्द्र उर्फ सोनू व संदीप तथा 04–05 अन्य व्यक्ति हाथों में लाठियां, सरिया लेकर आए हो और विक्रम को जाने से मारने की नियत

से उस पर जानलेवा हमला किया हो और विक्रम के गम्भीर चोटें आई हो। उक्त साक्षी स्वयं के साथ अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट होना नहीं बताते है।

(32) अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0ड0–03 जगदीप कुमार जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–03 से संबंधित साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अन्य साक्षी पी0ड0–05 रणवीर मुख्य परीक्षण में गांव में हुई मारपीट के संबंध में पता नहीं होना और किस–किस के बीच में मारपीट हुई, पता नहीं होना बताते हैं। इसी प्रकार साक्षी पी0ड0–06 धर्मवीर मुख्य परीक्षण में गांव में रायपुर जाटान के लड़के के साथ मारपीट होना सुनना तो बताते हैं, परन्तु किसने मारपीट की, इसके बारे में नहीं सुनना बताते हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखना और न ही सुनना बताते हैं। साक्षी पी0ड0–07 सुनील मीणा मुख्य परीक्षण में रोला होने की आवाज नहीं सुनना, न ही उसके द्वारा जयवीर व संदीप को देखना तथा दूसरे दिन संदीप व विक्रम की बोलचाल होना बतात है। प्रतिपरीक्षण में कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखना और न ही किसने किसके साथ मारपीट की पता नहीं होना बताते हैं। साक्षी पी0ड0–08 ताराचन्द मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा कोई मारपीट होते हुए नहीं देखना बताते है। प्रतिपरीक्षण में कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखना और न ही किसने किसके साथ मारपीट की पता नहीं होना बताते हैं। साक्षी पी0ड0–13 रोहिताश पक्षद्रोही घोषित हुआ है और अभियोजन कहानी का पूर्णतया समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण अभियुक्तगण द्वार विक्रम के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखना बताते हैं।

(33) चिकित्सक साक्षी पी0ड0–11 डॉ0 हिमांशु प्रतिपरीक्षण में आहत विक्रम के सभी चोटें एक लगायत 05 वाईटल पार्ट पर नहीं होना और प्रदर्श पी–08 व प्रदर्श पी–09 पर उसकी राय में उक्त चोटें प्राणघातक हो, ऐसा नहीं लिखा होना बताते हैं।

(34) जहां तक बरामदगी का प्रश्न है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में इतलाओं के आधार पर अभियुक्त जयवीर की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का पाईप जरिये फर्द प्रदर्श पी–17, अभियुक्त योगेश उर्फ योगी की निशानदेही से एक बांस का लट्ठ जरिये फर्द प्रदर्श पी–19, अभियुक्त रविन्द्र उर्फ सोनू की निशानदेही से एक बांस की लाठी जरिये फर्द प्रदर्श पी–23 बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगियों से संबंधित साक्षी धर्मेन्द्र, जयप्रकाश प्रकाश पुलिसकर्मी हैं, परन्तु किसी को भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया। साक्षीगण

पी0ड0–12 धर्मेन्द्र व पी0ड0–14 जयप्रकाश प्रतिपरीक्षण में बरामदगी स्थल के मालिकाना हक बाबत अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज सरपंच या पंच से प्राप्त नहीं करना बताते हैं। स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी0ड0–17 प्रमोद कुमार प्रदर्श पी–18, प्रदर्श पी–20 में दर्ज जयवीर के मकानके मालिकाना हक के बारे में कोई साक्ष्य एकत्रित करना नहीं बताते हैं। अनुसंधान अधिकारी प्रदर्श पी–20 में दिखाया गया स्थान खुला बाड़ा होना बताते हैं। उक्त बरामदगी वाले स्थान अभियुक्तगण के कब्जे व स्वामित्व के हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त बरामदगियां सन्देह के घेरे में आती है।

(35) पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का आरोपित अपराधों के संदर्भ में विवेचन किए जाने पर यह प्रकट होता है कि घटना का आहत पी0ड0–02 विक्रम व चक्षुदर्शी साक्षी पी0ड0–04 तथा अन्य साक्षीगण पी0ड0–05 रणवीर, पी0ड0–06 धर्मवीर, पी0ड0–07 सुनील मीणा, पी0ड0–08 ताराचन्द व पी0ड0–13 रोहितश अभियुक्तगण का घटना में सम्मिलित नहीं होना बताते है और न ही अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। अभियुक्तगण से कथित रूप से घटना में काम में लिए गए जिन लोहे का पाईप, बांस का लट्ठी व बांस की लाठी की बरामदगी करना बताया है, उक्त बरामदगी ऐसे स्थान से नहीं हुई, जो अभियुक्तगण के अकेले कब्जे का हो। उक्त लोहे का पाईप, बांस का लट्ठी व बांस की लाठी से मारपीट किए जाने के संबंध में कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। स्वयं आहत व चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियुक्तगण का घटना में सम्मिलित नहीं होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई बरामदगियां अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध के प्रमाणीकरण हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

(36) अतः पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का आरोपित अपराधों के संदर्भ में सूक्ष्मतापूर्वक विचार किए जाने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि घटना के आहत पी0ड0–02 विक्रम व चक्षुदर्शी साक्षी पी0ड0–04 दिनेश के पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हो जाने व अन्य साक्षीगण द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 03.04.2020 को दिन के लगभग 10:15 बजे घरडाना कलां में आम रास्ते पर आहत विक्रम का सदोष मानव वध करने के सामान्य आशय के अनुसरण में आहत विक्रम का सदोष मानव वध

कारित करने के आशय से शरीर पर लाठी, रॉड से वार कर उसके गम्भीर प्रकृति की चोटें कर हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक सदोष मानव वध का प्रयास किया हो। अतः अभियुक्तगण धारा–308, 308/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त घोषित होने योग्य है।

–:: आदेश ::–

(37) परिणामतः अभियुक्तगण (1) जयवीर पुत्र रोहिताश, उम्र 30 वर्ष, निवासी घरडाना कलां पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (2) योगेश उर्फ योगी पुत्र उम्मेद सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी सिलारपुरी, पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (3) रविन्द्र उर्फ सोनू पुत्र सूबे सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी मोई भारू, पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (4) संदीप पुत्र भरताराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी घरडाना कलां, पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा–308, 308/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(38) अभियुक्तगण (1) जयवीर पुत्र रोहिताश, उम्र 30 वर्ष, निवासी घरडाना कलां पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (2) योगेश उर्फ योगी पुत्र उम्मेद सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी सिलारपुरी, पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (3) रविन्द्र उर्फ सोनू पुत्र सूबे सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी मोई भारू, पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (4) संदीप पुत्र भरताराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी घरडाना कलां, पुलिस थाना सिंघाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा–धारा–323, 341, 325 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(39) अभियुक्तगण जयवीर, रविन्द्र उर्फ सोनू व संदीप को न्यायालय में उपस्थित हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके से उन्मोचित किया जाता है।

(40) अभियुक्त योगेश उर्फ योगी न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसका रिहाई आदेश अविलम्ब जारी किया जावे।

(41) प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत (1) एक लोहे का पाईप (2) एक बांस का लट्ठ (3) एक बांस की लाठी बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(42) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप नं0 आरजे—18जीबी—3559 सुपुर्दगी पर है, जो सुपुर्दगीदार के पास रहे, उक्त वाहन का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावे।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी, राजस्थान

(43) निर्णय आज दिनांक 05 अगस्त, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी, राजस्थान